



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112020-223346
CG-DL-E-26112020-223346

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 25, 2020/अग्रहायण 4, 1942

No. 603]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2020/AGRAHAYANA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2020

सा.का.नि.734(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 और धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, निदेशक (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा director-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** —(1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (..... संशोधन) नियम, 2020 कहा जा सकता है, (2) इन नियमों में यथा निहित, ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के (इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित), नियम 81 में, तालिका में, क्रम संख्या 15 के बाद निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“16.	विटेज मोटर वाहनों के लिए पंजीकरण और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना	बीस हजार	81सी
17.	विटेज मोटर वाहनों के लिए पुनः पंजीकरण / पंजीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	पांच हजार	81सी

3. उक्त नियमों में, नियम 81 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे: - "विटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रावधान"।

81ए. विटेज मोटर वाहन राज्य / संघ राज्य क्षेत्र समिति (वीएमवीएससी) का गठन -

- (1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार राज्य स्तरीय एक समिति का गठन करेगी, जिसे विटेज मोटर वाहन राज्य समिति (वीएमवीएससी) कहा जाएगा, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन आयुक्त/सचिव/प्रमुख सचिव /समकक्ष स्तर के एक अधिकारी, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिकृत ऑटोमोबाइल एसोसिएशन का एक सदस्य और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, यदि आवश्यक हो तो, शामिल होंगे।
- (2) विटेज मोटर वाहन की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सभी निर्णयों को इस समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। समिति प्रपत्र 38बी के अनुसार निरीक्षण का डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करेगी। योग्यता के प्रयोजनार्थ किसी वाहन को उसके मूल स्वरूप में रखा जाना चाहिए और उसका अधिक ओवरहॉल नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें चेसिस या बॉडी शेल और इंजन में कोई भी संशोधन शामिल है। यदि समिति के पास यह मानने का कारण है कि विटेज वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन अनुमोदन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह धारक को अपनी सफाई देने का अवसर देने के बाद, अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए आवेदन को अस्वीकार कर सकती है।

स्पष्टीकरण: इन नियमों के प्रयोजनार्थ, "विटेज मोटर वाहन" का अभिप्राय कोई भी वाहन जिसे विटेज वाहन श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि इस क्रम में एल1 और एल2 श्रेणी (दोपहिया) और एम1 श्रेणी चार पहिया के लिए परिभाषित किया गया है, जो पहली बिक्री के बाद पहली पंजीकरण की तारीख से 50 वर्ष से अधिक पुराना है, जिसमें इस शर्त के अधीन कि भारत में आयातित किसी भी वाहन को इस तरह के वाहनों को उनके मूल स्वरूप में रखा जाना और कोई भी अधिक ओवरहाल नहीं करने, जिसमें चेसिस या बॉडी शेल, और/या इंजन में कोई संशोधन शामिल है।

- 81बी. विटेज मोटर वाहन राज्य पंजीकरण प्राधिकारी (वीएमवीएसआरए) की नियुक्ति** — (1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार संयुक्त परिवहन आयुक्त की रैंक के ऊपर के अधिकारियों में से एक को राज्य पंजीकरण प्राधिकारी (नोडल या समन्वय अधिकारी) के रूप में नियुक्त करेगी, जो विटेज मोटर वाहन के रूप में वाहन के पंजीकरण और वीएमवीएससी समिति के अनुमोदन के बाद, राष्ट्रीय रजिस्टर में उचित प्रविष्टि करने के पश्चात् विटेज मोटर वाहन के रूप में वाहन का पंजीकरण या पुनःपंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे।

81सी. आवेदन और विंटेज मोटर वाहन के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया— (1) केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्रपत्र 20 के अनुसार किसी विंटेज वाहन के पंजीकरण/पुनः पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा। पंजीकरण के प्रत्येक आवेदन के साथ होगा:

- (i) बीमा की एक पॉलिसी;
- (ii) नियम 81 में निर्दिष्टानुसार उचित शुल्क;
- (iii) आयातित विंटेज मोटर वाहनों के मामले में प्रवेश का बिल;
- (iv) भारत में पहले से पंजीकृत वाहन के मामले में पुराना पंजीकरण प्रमाणपत्र;
- (v) नियम 81ए के अनुसार जारी प्रपत्र 38बी के अनुसार निरीक्षण का डिजिटल प्रमाण पत्र।

(2) राज्य पंजीकरण प्राधिकारी अपने द्वारा पंजीकृत विंटेज मोटर वाहन के मालिक को ऐसे आवेदन की प्राप्ति से साठ दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्रपत्र 23ए के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा और इस तरह के प्रमाण पत्र और उसमें परिवर्तन के विवरण को राष्ट्रीय रजिस्टर में भी दर्ज करेगा।

बशर्ते कि विंटेज मोटर वाहन के रूप में पंजीकृत होने के बाद मोटर वाहन के पंजीकरण का पुराना प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, को रद्द कर दिया जाएगा और मालिक केवल ऐतिहासिक उद्देश्यों के लिए पंजीकरण के ऐसे रद्द किए गए प्रमाण पत्र को अपने पास रख सकता है।

(3) पंजीकरण प्राधिकरण पूर्ववर्ती पंजीकरण अभिलेख और स्वामित्व अभिलेख का पूरा लेखाजोखा रखेगा। वाहन पंजीकरण का राष्ट्रीय रजिस्टर तदनुसार अद्यतित किया जाएगा।

(4) किसी विंटेज मोटर वाहन के पंजीकरण के पश्चात किसी समय, निम्नलिखित के संबंध में पंजीकरण प्राधिकारी को आवेदन करने की आवश्यकता है:

- (i) पंजीकरण का डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करना;
- (ii) मोटर वाहन के स्वामित्व के स्थानांतरण का रिकार्ड करना; अथवा
- (iii) पता परिवर्तन,

ऐसे आवेदन मोटर यान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत बताए गए तरीके से किया जाना चाहिए और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत यथा-निर्धारित ऐसे शुल्कों के साथ होने चाहिए।

81घ. विंटेज वाहनों पर पंजीकरण चिह्नों के प्रदर्शन का रूप और तरीका — (1) अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत ऐसे वाहनों के नवीन पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण को किसी विंटेज मोटर वाहन पर प्रदर्शन के लिए सौंपा जाएगा जिसमें एक पंजीकरण चिह्न के साथ अक्षर "XX VA YY ****", शामिल है जबकि VA विंटेज के लिए आता है, XX राज्य कोड बतलाता है, YY एक दो अक्षरों की सीरीज होगा और "****" 0001 से 9999 का कोई नंबर राज्य पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा आबंटित होगा।

(2) किसी विंटेज मोटर वाहन को दिया गया पंजीकरण चिह्न वाहन के सामने और पीछे स्पष्ट और पठनीय रूप में प्रदर्शित किया जाएगा जो केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 50 और 51 में बताए गए विनिर्दिष्टियों के समनुरूपी पंजीकरण प्लेट से संबंधित विनिर्दिष्टियों और आकार में एक लाइसेंस प्लेट के रूप में होगा और विंटेज मोटर वाहनों को नियम 51 के अनुदेशों के अनुसार उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट के आकार, फांट और लगाने के स्थान के आदेश से कोई छूट नहीं होगी।

81ड. पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता – वैधता प्रमाणपत्र 10 वर्षों के लिए मान्य होगी और उसके पश्चात तदनुसार नवीकरण किया जाएगा।

81च. विक्रय और क्रय – विंटेज वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनों का विक्रय और क्रय अनुमत है बशर्ते कि क्रेता और विक्रेता अपने संबंधित राज्यों के परिवहन प्राधिकरण को सूचित करें और नए स्वामी के नाम के अंतर्गत पंजीकरण को अभिलेखबद्ध

कराए। यह क्रेता और बिक्रेता दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी कि इस संबंध में सूचना क्रय/विक्रय के 90 दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी जाए।

81छ. उपयोग पर प्रतिबंध – विटेज मोटर वाहनों को किसी वाणिज्यिक उद्देश्य, चाहे कुछ भी हो, के लिए सड़क पर नहीं चलाया जाएगा और विटेज मोटर वाहनों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:

- (i) किसी प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए प्रदर्शित अथवा उपयोग करना ;
- (ii) तकनीकी अनुसंधान के उद्देश्य अथवा किसी विटेज कार रैली में भाग लेना;
- (iii) पुनः ईंधन भराने अथवा रखरखाव के उद्देश्य;
- (iv) प्रदर्शनी, विटेज रैलियों, ऐसे प्रदर्शन/कार रैलियों में आना-जाना;

4. उक्त नियमों में, नियम 92 के उप-नियम (2) में खंड (ग) के संबंध में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः —

“(ग) जो विटेज मोटर वाहन के रूप में पंजीकृत है”

5. उक्त नियमों में, प्रपत्र 38ए के पश्चात, निम्न प्रपत्र को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः —

प्रपत्र 38बी

[नियम 81ए देखें]

विटेज मोटर वाहन निरीक्षण प्रमाणपत्र

द्वारा

विटेज मोटर वाहन राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र समिति

निरीक्षित और सूचित किया गया कि

- (i) आवेदन में दिया गया विवरण सही है;
- (ii) वाहन अपने मूल स्वरूप में है और इसमें कोई बड़ा परिवर्तन और चेसिस, बॉडी और/इंजन में कोई आशोधन नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम	नाम	नाम
पदनाम	पदनाम	पदनाम	पदनाम

संदर्भ सं.

दिनांक.....

[फा.सं. RT-11036/45/2017-MVL Pt.1]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम 2 जून 1989 की अधिसूचना संख्या सा. का. नियम 590(अ.) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. (अ.) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th November, 2020

G.S.R. 734(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 64 and Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Director (MVL),email : director-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2020;

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as said rules), in rule 81, in the table, after serial no. 15, the following shall be inserted, namely:—

“16.	Registration and Issue of certificate of registration for Vintage Motor Vehicles	Twenty Thousand	81C
17.	Re-registration/ Renewal of certificate of registration for Vintage Motor Vehicles	Five Thousand	81C

3. In the said rules, after rule 81, the following rules shall be inserted, namely:—“Special Provision for registration of Vintage Motor Vehicles”.

81A. Appointment of Vintage Motor Vehicles State/ Union Territory Committee (VMVSC)— (1) The State/Union Territory Government shall constitute a committee at State level which shall be called Vintage Motor Vehicles State Committee (VMVSC) comprising of one of the officers of State/Union Territory i.e. Transport Commissioners/Secretary /Principal Secretary/equivalent level, a member of Automobile Association authorized by the State Government /Union Territory Administration, and any other person authorized by State / Union Territory administration if required.

(2) All decisions regarding approval or rejection of vintage motor vehicle shall be finalized by this committee. The committee shall issue a digital certificate of inspection as per Form 38B. For the purpose of qualification, a vehicle should be maintained in its original form and should not have undergone any substantial overhaul which includes any modification in chassis or body shell, and engine. If the committee has reason to believe that the application for registration of vintage vehicle is not fit for approval, it may, after giving the holder an opportunity of being heard, reject the application mentioning the reasons of rejection.

Explanation: For the purpose of these rules, “Vintage Motor Vehicle” means Any vehicle can be classified under vintage vehicle category as defined in this order for L1 & L2 category (two-wheeler) and M1 category four-wheeler, which are more than 50 years old from the date of 1st registration after first sale including any vehicle imported into India subject to condition that such vehicles should be maintained in its original form and should not have undergone any substantial overhaul which includes any modification in chassis or body shell, and/or engine.

81B. Appointment of Vintage Motor Vehicles State Registering Authority (VMVSR)—(1) The State/Union Territory Government shall assign one of the officers not below the rank of Joint Transport Commissioner as State Registering Authority (nodal or coordinating officer) who shall, on receipt of the application for registration of vehicle as Vintage Motor Vehicle, and after approval of the VMVSC committee, register or re-register the vehicle, as a vintage motor vehicle after making due entry in the National Register.

81C. Procedure of application and issuance of Certificate of Registration as a Vintage Motor Vehicle — (1) An application for registration / re-registration of a vintage vehicle shall be made as per Form 20 of Central Motor Vehicles Rules, 1989. Every application for registration shall be accompanied by:

- (i) A policy of insurance;
- (ii) Appropriate fee as specified in rule 81;
- (iii) Bill of Entry in the case of imported vintage motor vehicles;
- (iv) Old Registration Certificate in case of already registered vehicle in India;
- (v) Digital Certificate of inspection as per Form 38B, issued as per rule 81A.

(2) The State Registering Authority shall issue to the owner of a vintage motor vehicle registered by it, a certificate of registration as per Form 23A of Central Motor Vehicles Rules, 1989 within the period of sixty days from the receipt of such an application and shall also enter in the National register, the particulars of such certificate and changes thereof.

Provided that the old certificate of registration of a motor vehicle after being registered as Vintage Motor Vehicle, if any, shall be cancelled and the owner may retain such cancelled certificate of registration for historical purposes only.

(3) The Registering Authority shall maintain a complete record of previous registration and ownership record. The National register of vehicle registration shall be updated accordingly.

(4) If at any time after the registration of a vintage motor vehicle, an application needs to be made to the registering authority regarding:

- (i) Issuance of a duplicate certificate of registration;
- (ii) Recording transfer of ownership of the motor vehicle; or
- (iii) Change of address;

Such application shall be made in the manner provided under the Motor Vehicles Act, 1988 and be accompanied by such fees as prescribed under Central Motor Vehicles Rules, 1989.

81D. Form and manner of display of registration marks on vintage vehicles. —(1) For fresh registration of such vehicles, under Section 41 of the Act, the Registering Authority shall assign to a vintage motor vehicle for display thereon, a registration mark consisting of the letters “XX VA YY ****”, where VA stands for vintage, XX stands for State code, YY will be a two letter series and “****” is a number from 0001 to 9999 allotted by State Registering Authority.

(2) The registration mark assigned to a vintage motor vehicle shall be exhibited both at the front and at the rear of the vehicle clearly and legibly in the form of a license plate in the size and specifications related to registration plate shall conform to the specifications spelt out in rule 50 and 51 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and there shall be no exemption to the vintage motor vehicles from High Security Registration Plate order as regards the size, font and place of affixation as instructions in Rule 51.

81E. Validity of the certificate of registration. — The certificate of registration shall be valid for a period of 10 years and shall be renewable accordingly thereafter.

81F. Sale and Purchase. —Sale or purchase of vehicles registered as the vintage Motor Vehicle is permissible provided the buyer and seller inform respective State Transport Authority and registration under the new owner’s

name to be recorded. It is the joint responsibility of both buyer and seller that information in this regard shall be submitted to the authority within 90 days of sale /purchase.

81G. Restriction on uses.—Vintage Motor Vehicles shall not be driven or plied on the roads for any commercial purposes whatsoever. Vintage Motor Vehicles shall be used for:

- (i) display or use for the purpose of a demonstration ;
 - (ii) the purposes of technical research or taking part in a vintage car rally;
 - (iii) the purposes of refueling and maintenance.
 - (iv) exhibitions, vintage rallies, to and fro to such exhibition/car rally;
4. In the said rules, in rule 92, in sub-rule (2), for clause (c), the following shall be substituted, namely:—
“(c) which is registered as Vintage Motor Vehicle.”
5. In the said rules, after FORM 38A, the following form shall be inserted, namely:

Form 38B

[See rule 81A]

CERTIFICATE OF INSPECTION OF A VINTAGE MOTOR VEHICLE

By

Vintage Motor Vehicles State/Union Territory Committee

Inspected and reported that

- (i) the particulars contained in the application are true;
- (ii) vehicle is in its original form and has not undergone any substantial overhaul and no modification in chassis, body and/or engine has been made.

Signature	Signature	Signature	Signature
Name	Name	Name	Name
Designation	Designation	Designation	Designation

Ref. No.

Date.....

[F.No. RT-11036/45/2017-MVL Pt.1]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note. -The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R.....(E), Dated.....